राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	1688 / 2024 जगदीश प्रसाद	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। 4. पुलिस उप आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। 5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	23.04.2024	श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक
2.	1689 / 2024 रामेश्वर लाल			
3.	1690 / 2024 दामोदर प्रसाद शर्मा			
4.	1694 / 2024 मोहन लाल	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, Bhadra, जिला हनुमानगढ़। 5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, बीकानेर।	25.04.2024	श्री विनोद गोयल, अभिभाषक
5.	1695 / 2024 बालू राम बारोलिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर (राज.)। 3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर (राज.)। 4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	25.04.2024	श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक
6.	1696 / 2024 सुल्तान सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन सीकर (राज.)। 5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।		
7.	1697 / 2024 मदन लाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नीमकाथाना। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।		

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1688/2024 जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को देय एक वेतन वृद्धि एवं वेतन मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रदान किया जावें तथा अन्य देय सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन निर्धारित करते हुये भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद से दिनांक 30.06.2023 को कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर से सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि सेवा पुस्तिका के अनुसार अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2023 को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जानी चाहिये। इसी प्रकार वर्तमान मामले के समान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें यह आदेश पारित किया कि यदि कार्मिक एक जुलाई से 30 जून तक पूरे एक वर्ष तथा अच्छे व्यवहार के साथ सेवाएं देने के उपरांत सेवानिवृत्त होता है तो वह एक जुलाई की देय एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है। परंतु अपीलार्थी को एक

वर्ष की संतोषजनक सेवाएं देने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई, जो उक्त विधि के विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी ने पूरे एक वर्ष संतोषजनक सेवाएं दी और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु अपीलार्थी को उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को देय एक वेतन वृद्धि एवं वेतन मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रदान किया जावें तथा अन्य देय सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन निर्धारित करते हुये भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद से दिनांक 30.06.2023 को कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर से सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि सेवा पुस्तिका के अनुसार अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान में मामले में भी अपीलार्थी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को 2 सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1688/2024 जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)